

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

2. तदनुसार समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संकल्पों/परिपत्रों, वित्त विभागीय संकल्प संख्या-163 दिनांक-08.01.2016 एवं ज्ञापांक--4936 दिनांक-02.07.2018 के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों में कार्यरत/मृत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कर्मियों लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक को वांछित सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति कॉलम-10 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है:-

(Honn), Office Order

2	श्री शिव शंकर पासवान/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, मधुबनी	29.01.1959 / 31.01.2019	सीधी नियुक्ति 30.12.1987	01.09.2010	प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 11.03.2002 के प्रभाव से 5000-8000 2. द्वितीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 13.03.2012 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पे०-4800 3. तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 30.12.2017 के प्रभाव से वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 30.12.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 / - ग्रेड पे०-5400 में देय है।	तृतीय एम०ए०सी०पी० देय तिथि 30.12.2017 में लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक- 30.12.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 / - ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. तृतीय एम०ए०सी०पी० देय तिथि 30.12.2017 में लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक राशिमित)
3	श्री बरुण कुमार/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, हाजीपुर	05.06.1953 / 30.06.2015	सीधी मर्ती 15.12.1980	01.04.1995	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 09.08.1999 के प्रभाव से 5000-8000 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 09.08.1999 के प्रभाव से 5500-9000 3. तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 01.01.2009 के प्रभाव से 9300-34800 / - ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 15.12.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 / - ग्रेड पे०-7600 में देय है।	दिनांक- 15.12.2010 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 / - ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 15.12.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 / - ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक राशिमित)
4	श्री व्यवन प्रसाद श्रीवास्तव/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, रामपुर	30.08.1947 / 31.08.2007	सीधी नियुक्ति 28.12.1981	01.04.1985	प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 09.08.1999 के प्रभाव से 5000-8000	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 28.12.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200 / - में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 28.12.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200 / - में स्वीकृत।

751

8	श्री मैनेजर साह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सिवान-02	01.03.1950 / 28.02.2010	प्रोन्नति 01.03.1984	01.03.1987	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 06.12.2008 के प्रभाव से वेतनमान- 5000-8000 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 06.12.2008 के प्रभाव से वेतनमान- 5500-9000	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 01.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
9	श्री पारसनाथ वर्मा/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, नोनालगंज-02	04.03.1953 / 31.03.2013	प्रोन्नति 01.03.1984	01.03.1987	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 09.08.1999 से 5000-8000 ग्रेड पे०-4200 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 01.03.2008 से 5500-9000 ग्रेड पे०-4600	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 01.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
10	श्री शिवजी सिंह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सोनपुर	18.01.1955 / 31.01.2015	प्रोन्नति 14.02.1983	14.02.1983	प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 26.03.2012 की तिथि से वेतनमान- 9300-34800/- पी०पी०- 2+4200 ग्रेड पे० 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 26.03.2012 से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 14.02.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	दिनांक- 14.02.2013 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 14.02.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. दिनांक- 14.02.2013 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

(Signature)

11	श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सिवान-02	28.01.1951 /31.01.2011	समायोजन 03.03.1979	01.04.1982	प्राप्त 1. प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन 09.08.1999 से वेतनमान-5000-8000 2. द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन 09.08.1999 की तिथि से वेतनमान-5500-9000 3. तृतीय वित्तीय उन्नयन एम0ए0सी0पी0 दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पे0-4800	दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक-03.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-10000-15200/- में देय है।	दिनांक-03.03.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-7600 में देय है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-03.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-10000-15200/- में, स्वीकृत। 3. दिनांक-03.03.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)
12	श्री परमानन्द सिंह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सिवान-02	18.06.1953 /30.06.2013	प्रवेशिका उत्तीर्ण 13.09.1982	वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2005 द्वारा राज्य सरकार के मुखिकराल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशुद्धित होने के आलोक में	प्राप्त 1. प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन 09.08.1999 से वेतनमान-4500-7600 2. द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन 13.09.2006 की तिथि से वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे0-4800 3. तृतीय वित्तीय उन्नयन एम0ए0सी0पी0 दिनांक-03.09.2012 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पे0-4800	दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक-13.09.2006 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-6000 में देय है।	दिनांक-13.09.2012 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-7600 में देय है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-13.09.2006 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-6000 में स्वीकृत। 3. दिनांक-13.09.2012 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)
13	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सिवान-02	13.03.1953 /31.03.2013	समायोजन 14.05.1985	15.05.1988	प्राप्त 1. प्रथम ए0सी0पी0 09.08.1999 से 5000-8000 2. द्वितीय ए0सी0पी0 09.08.1999 से 5500-9000 3. तृतीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से पे0 डेड-2 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे0-4800	दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक-14.05.2009 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-6000 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-14.05.2009 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे0-6000 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)

14	श्री केदार मंडल / सोवनिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, रामस्तीपुर	31.01.1955 /31.01.2015	प्रोन्नति 25.09.1980	01.09.2009	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 09.08.1999 से 5000-8000 2. द्वितीय ए०सी०पी० 25.09.2004 से 5500-9000 3. तृतीय ए०सी०पी० दिनांक- 25.09.2010 के प्रभाव से पे० बैन्ड-2 वेतनमान- 9300-34800 /- ग्रेड पे०-4600	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 25.09.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200 /- में देय है।	दिनांक- 25.09.2010 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7000 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-25.09.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200 /- में स्वीकृत। 3. दिनांक-25.09.2010 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-7000 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
15	श्री दिनेश प्रसाद शर्मा/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, महानगर	05.04.1963 / 30.04.2023	प्रोन्नति 10.06.1993	01.12.1998	प्राप्त दिनांक- 16.01.2010 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800 /- ग्रेड पे०-4200	प्राप्त ए०सी०पी० दिनांक- 10.06.2005 के प्रभाव से वेतनमान-5500 -10500 /- में देय है।	दिनांक- 10.06.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-5400 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक-10.06.2005 के प्रभाव से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। 2. दिनांक-10.06.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
16	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह/ सोवनिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, शेखपुरा	05.01.1960 / 31.01.2020	प्रोन्नति 14.03.1984	01.12.1998	प्राप्त दिनांक- 16.01.2010 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800 /- ग्रेड पे०-4200	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 14.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	दिनांक- 14.03.2014 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-14.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-14.03.2014 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

17	श्री शैलेश कुमार शर्मा / सेवानिवृत्त लेखा लिपिक / कार्य प्रगंडल, बैंगलूर	20.01.1952 / 30.01.2012	सीसी नियुक्ति 21.05.1973	01.03.1985	प्राप्त 1. द्वितीय वितीय उत्क्रमण की तिथि 09.08.1999 वेतनमान- 5000-8000 में। 2. तृतीय वितीय उत्क्रमण एम०ए०सी०पी० दिनांक- 01.01.2009 के प्रभाव से 9300-34300 ग्रेड पे०-4600।	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 3. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त एम०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
18	रजो रामगिलास सिंह / सेवानिवृत्त बरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रगंडल, रामपुरीपुर	06.08.1950 /30.08.2010	सीसी नियुक्ति 27.07.1973	01.07.1978	प्राप्त 1. प्रथम एम०सी०पी० 09.08.1999 के प्रभाव से 5000-8000 2. द्वितीय एम०सी०पी० 09.08.1999 के प्रभाव से 5500-9000 3. तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 01.01.2009 के प्रभाव से पे० देव-2 वेतनमान- 9300-34600 /- ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 / - में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय एम०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 3. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त एम०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

19	स्व० मदन मोहन शुक्ला / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, महुआ	16.04.1954 / 30.04.2014	प्रोन्नति 01.09.1982	15.09.1990	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 09.08.1999 के प्रभाव से 4500-7000 2. द्वितीय ए०सी०पी० 01.09.2006 के प्रभाव से 5000-8000 3. तृतीय ए०सी०पी० दिनांक- 01.09.2012 के प्रभाव से पे० बैंड-2 वेतनमान- 9300-34800 /- ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्ता प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, चरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.09.2006 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	दिनांक- 01.09.2012 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्ता प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, चरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 01.09.2006 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी० / ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
20	स्व० विरेन्द्र कुमार / मृत्युपूर्व सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01	09.02.1952 / 28.02.2012	सीधे नियुक्ति 18.02.1985	29.08.2010	प्राप्त दिनांक- 29.08.2010 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800 /- ग्रेड पे०-4200 /- में देय है।	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्ता प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, चरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 18.02.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	तृतीय ए०सी०पी० देय नहीं।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्ता प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, चरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 18.02.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी० / ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
21	श्री चन्द्रशेखर राम / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर	25.09.1963 / 30.09.2022	अनुक्रम 10.12.1990	28.09.2002	प्राप्त. 1. प्रथम ए०सी०पी० 01.01.2009 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पे० 4800 2. द्वितीय ए०सी०पी० 10.12.2010 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पे० 5400	प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 10.12.2002 के प्रभाव से वेतनमान- 6500-10500 /- में देय है।	दिनांक- 10.12.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-5400 में देय है।	तृतीय ए०सी०पी० देय तिथि 10.12.2020 में तैयार-11 में देय है।	1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 10.12.2002 के प्रभाव से वेतनमान- 6500-10500 /- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 10.12.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. तृतीय ए०सी०पी० देय तिथि 10.12.2020 में तैयार-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी० / ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

22	श्री अलेक्जेंडर जार्ज पीटर/ वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, रामगढ़ीपुर	10.09.1965 / 30.09.2025	अनुक्रम 03.07.1992	28.08.2010	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 03.07.2004 के प्रभाव से वेतनमान- 6500-10500 2. द्वितीय ए०सी०पी० 03.07.2012 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पै० 5400	प्राप्त	प्राप्त	तृतीय ए०सी०पी० देय तिथि 03.07.2022 में लेवल-11 में देय है।	3. तृतीय ए०सी०पी० देय तिथि 03.07.2022 में लेवल-11 में स्वीकृत।
23	श्री आसीत कुमार चक्रवर्ती/ सेवानिवृत्त लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, पटना	01.01.1950 / 31.12.2009	सीधी नियुक्ति 16.01.1979	01.04.1992	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान- 5000-8000 2. द्वितीय ए०सी०पी० 16.01.2003 के प्रभाव से 5500-9000 3. तृतीय ए०सी०पी० दिनांक- 16.01.2009 के प्रभाव से 9300-34800 ग्रेड पै०-4600/-	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मीलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 16.01.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200 /- में देय है।	तृतीय ए०सी०पी० दिनांक- 16.01.2009 की तिथि से वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पै०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मीलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-16.01.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200 /- में स्वीकृत। 3. दिनांक-16.01.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पै०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
24	श्री कृष्ण मुरारी सहाय/ वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, विश्वनामज- 01	02.05.1974 / 31.05.2034	अनुक्रम 15.05.1995	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुखिकसल/ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नायन का लाभ दिखे जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में।	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 15.05.2007 के प्रभाव से वेतनमान- 5000-8000 2. द्वितीय ए०सी०पी० 12.10.2017 के प्रभाव से ग्रेड पै०-4600	प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 15.05.2007 के प्रभाव से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पै०-4800 में देय है।	दिनांक- 15.05.2015 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पै०-5400 में देय है।	—	1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक-15.05.2007 के प्रभाव से वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पै०-4800 में स्वीकृत। 2. दिनांक-15.05.2015 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पै०-5400 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
25	श्री प्रेम कुमार/ सेवानिवृत्त लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर परिवन	13.02.1963 / 28.02.2023	अनुक्रम 01.09.1988	01.09.1991	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 16.01.2010 की तिथि से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पै०-4200/- 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 16.01.2010 की तिथि से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पै०-4600/-	दिनांक- 01.09.2000 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पै०-5400 में देय है।	दिनांक- 01.09.2018 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक- 01.09.2000 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पै०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-01.09.2018 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

26	श्री उपेन्द्र कुमार/ सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, बोका-02	20.01.1960 / 31.01.2020	सीधी नियुक्ति 02.01.1986	13.10.1992	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 05.03.2010 के प्रभाव से वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड पे०-4800	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 02.01.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	राज्यीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 02.01.2016 की तिथि से लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-02.01.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. राज्यीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 02.01.2016 की तिथि से लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
27	श्री वृजोन्द्र प्रसाद सिंह/ सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/जॉय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, नालन्दा	22.02.1949 / 28.02.2009	प्रोन्नति 24.11.1979	01.03.1982	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान- 5000-8000/- 2. द्वितीय ए०सी०पी० 25.11.2003 के प्रभाव से 5500-9000/-	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 24.11.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200 /- में देय है।	राज्यीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में स्वीकृत। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-24.11.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200 /- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
28	श्री बालू लाल मुर्मू/ सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2	13.08.1962 / 31.08.2022	सीधी नियुक्ति 27.04.1984	27.04.1987	प्राप्त 1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से वेतनमान- 5000-8000/- 2. द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक- 27.04.2008 की तिथि से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- 3. तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक- 27.04.2014 की तिथि से वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/-	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 27.04.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में देय है।	दिनांक- 27.04.2014 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लागू देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-27.04.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-27.04.2014 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)

29	श्री अरुण कुमार कंड/ सेवाभित्त लेखा लिपिक/ प्राणीय कार्य विभाग, कार्य प्रमदल, वापसी।	17.11.1954 / 30.11.2014	समायोजन 01.01.1989	01.01.1989	प्राप्त 1. प्रथम एम0ए0सी0पी0 दिनांक- 01.01.2001 की तिथि से वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत परन्तु इनका अतिरिक्त तल 12.01.2009 से दिया गया है।	दिनांक- 01.01.2001 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे0-5400 में देय है।	वृत्तीय देय नहीं है।	दिनांक- 01.01.2001 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान- 15600-39100 /- ग्रेड पे0-5400 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त एम0ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संगोषित)
----	--	-------------------------	--------------------	------------	--	---	--	----------------------	--

3. उपर्युक्त किसी भी लेखा लिपिक के संबंध में भविष्य में उक्त कार्यालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित लेखा लिपिक को प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित इस आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश, एवं अन्य मामला आदि, जो एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कनीय लेखा लिपिकों के संबंध में पूर्व में निर्गत दण्ड या लंबित आरोप एवं अन्य प्रतिकूल तथ्य (वित्त विभागीय ज्ञापक-4936 दिनांक-02.07.2018 के अर्हता आदि के संबंध में) विभाग के संज्ञान में आने के परिणाम स्वरूप संबंधित कर्मों को प्रदत्त एम0ए0सी0पी के तहत प्रदत्त लाभ से संबंधित यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि/अन्तर राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायेगी।

7. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

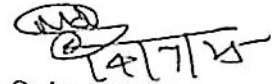
8. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मों को अत्याधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्याधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 7681

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 7681

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 7681

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 7681

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

प्रतिलिपि:-सभी राजपत्रित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

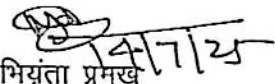


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 7681

/पटना, दिनांक:- 15.7.25

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख